नैक द्वारा प्रत्यायित श्रेणी ''बी''

महाराणा प्रताप स्नातकोत्तर महाविद्यालय

जंगल धूसड़- गोरखपुर

स्थापित २००५ ई.

फोन नं0 : 0551–6827552, 2105416
मो. : 9794299451
Website: www.mpm.edu.in
E-mail : mpmpg5@gmail.com

पत्रांक : दिनांक : 19.07.2017

शिक्षक आचार संहिता 2017–18

1. शिक्षक स्वयं विद्यार्थियों के लिए प्रतिमान बनें।
2. समय से पूर्व उपस्थित हों। प्रातः 09:15 पर सभी शिक्षकों की उपस्थिति अनिवार्य है। 9.20 से पूर्व उपस्थिति पंजिका पर हस्ताक्षर न होने पर लाल रंग की रेखा खींच दी जायेगी, तत्पश्चात् आने का समय डाल दें, हस्ताक्षर न करें। जाते समय हस्ताक्षर करें तथा समय डालें। तीन दिन विलम्ब होने पर एक दिन आकस्मिक अवकाश मान लिया जायेगा।
3. महाविद्यालय परिसर में किसी भी शिक्षक की उपस्थिति के आसपास अनुशासन की जिम्मेवारी सम्बन्धित शिक्षक की होगी।
4. नशा मुक्त परिसर का नियम स्वयं पर लागू करें।
5. पाठ्यक्रम योजना का शत–प्रतिशत पालन करें। 10 जुलाई तक पाठ्यक्रम योजना प्राचार्य के पास उपलब्ध करा दें।
6. प्रायोगिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम शत–प्रतिशत पूर्ण हो। प्रायोगिक कक्षाओं में सभी विद्यार्थियों के कक्षावार मोबाइल नम्बर रखें जायें।
7. कक्षा में व्याख्यान के साथ सारांश लिखा दिया जाय। प्रत्येक व्याख्यान से पूर्व पिछले सारांश/व्याख्यान पर प्रश्नोत्तर का समय दें।
8. कक्षा में मोबाइल लेकर किसी भी कीमत पर न जाएं।
9. प्रति प्रश्नपत्र गत वर्ष के अतिरिक्त कम से कम पांच व्याख्यान प्रोजेक्टर पर अवश्य पढ़ाएं।
10. पुस्तकालय की सभी पुस्तकें 2 मई से पूर्व प्रतिवर्ष जमा कर अदेयता प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लें। पुस्तकालय की किसी पुस्तक के बकाया होने की दशा में ग्रीष्मावकाश स्वीकृत नहीं होगा।
11. महाविद्यालय के किसी प्रकार के आर्थिक आय–व्यय, अग्रिम आदि का समायोजन 20 मार्च तक अवश्य करा लें।
12. जो दायित्त्व सौंपा जाय उसे निर्धारित समय से शत–प्रतिशत पूर्ण करें।
13. पूर्व निर्धारित कार्यक्रम हेतु अवकाश एक दिन पूर्व स्वीकृत कराएं। अवकाश स्वीकृत कराए बिना अथवा बिना किसी सूचना के अनुपस्थित होने पर अवैतनिक अवकाश मान लिया जायेगा।
14. बचे हुए आकस्मिक अवकाश आगे के अवकाश में जुड़ते रहेंगे एवं जून तक 18+12=30 अवकाश से अधिक बचे अवकाश का प्रतिदिन के वेतन की दर से नकद भुगतान अगस्त माह में कर दिया जायेगा।
15. विश्वविद्यालय पूर्व परीक्षा में प्रश्नपत्र निर्माण, उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन आदि कार्य शिक्षक के स्वाभाविक दायित्व के अन्तर्गत आएगा, उसके लिए किसी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नहीं होगा।
16. विश्वविद्यालय परीक्षा मानकानुसार/नियमानुसार सम्पन्न कराना शिक्षक का उत्तरदायित्व है। अतः परीक्षा के समय शहर छोड़ते समय सूचना अवश्य दें।
17. महाविद्यालय के सभी आयोजनों, कार्यक्रमों, राष्ट्रीय सेवा योजना के विशेष शिविरों के उद्घाटन, समापन समारोह आदि में शिक्षक की उपस्थिति अनिवार्य होगी। उचित कारण पर आकस्मिक अवकाश दिया सकता है।
18. महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद् के समस्त आयोजनों/कार्यक्रमों में प्रबन्ध तन्त्र के निर्देशानुसार उपस्थिति एवं सहयोग अनिवार्य होगी।
19. 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी को सभी की उपस्थिति अनिवार्य होगी। अनुपस्थित रहने पर आकस्मिक अवकाश चढ़ेगा। किन्तु ध्वजारोहण में कहीं भी सम्मिलित होने का प्रमाण–पत्र देना होगा।
20. स्वैच्छिक श्रमदान में शिक्षक स्वेक्षानुसार प्रतीकात्मक रूप से छात्रों का प्रतिमान बनें। विद्यार्थियों को गोद लेने की योजना को भी शिक्षक स्वेच्छानुसार लागू कर सकते हैं। गोद लिये विद्यार्थियों का विवरण अवश्य रखें।
21. समय–समय पर जारी संशोधनों एवं नये निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा।

(प्रदीप कुमार राव)